रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाल शिशु मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
रामराज, मेरठ।

पत्रांक : मा० शि० प०/ मान्यता (मे०) 1930 मेरठ : दिनांक 27/9/09

विषय :—सीधे/हाई स्कूल 9–10 (कक्षा) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7–क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था बाल शिशु मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामराज, मेरठ। को बालक / [redacted] विद्यालय के रूप में परिषद की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2011 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वर्णानुसार) [illegible] सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने से पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था, पर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के सापेक्ष व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

(कृ० प० उ०)